IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 27, Issue 3, Series 1 (March. 2022) 68-70
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

समान नागरिक संहिता

मेजर राज कमल दीक्षित,
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, सेठ फूलचंद बागला कॉलेज, हाथरस।

वर्तमान परिदृश्य के अनुसार प्रतिंष्ठित नागरिकों द्वारा तैयार किये गये और विधि आयोग का सौपें गये समान नागरिक संहिता के मसौदे में कहा गया है कि विवाह, तलाक बच्चा गोद लेने, सम्पत्ति का अधिकार एवं उत्तराधिकार आदि मुद्दे पर विभिन्न धर्मों के पसर्नल लॉ न्याय संगत और निष्पक्ष नही है और इनमें लैगिंक आधार पर भेदभाव किया जाता है। विभिन्न मुद्दों को लेकर कहा गया है कि नियम वैश्विक रूप से स्वीकृत हों एवं मानवाधिकारों का उल्लघंन न करते हों। क्या है समान नागरिक संहिता? इसके पक्ष व विपक्ष मुद्दों को लेकर शोध पत्र माध्यम अभिव्यक्त किया जा रहा है।
की वर्ड – समानता, नागरिक, संहिता, विधि, लिंग।

एक समान नागरिक संहिता होने का आशय है कि व्यक्तिगत कानून एक समान सभी धर्मो के लिए सभी नागरिकों पर लागू होगा। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल हिन्दू व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून में भिन्नता हैं। व्यक्तिगत कानून सम्पत्ति, उत्तराधिकार और विरासत जैसे क्षेत्रों, और विवाह एवं तलाक आदि पर लागू होता है।

''भारतीय संविधान सभा की सदस्य राजकुमारी अमृता कौर का कथन है कि धर्म आधारित निजी कानून जीवन के विभिन्न पहलुओं को जोडकर देश में फूट डाल रहे हैं. और इस प्रकार भारत को एक राष्ट्र बनने से रोक रहे है।''

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफार्म सिविल कोड का आशय है भारत मे निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मो के लिए एक ही कानून लागू होगा यूनियन सिविल कोड का मतलब एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई संबंध नही हैं। समान नागरिक संहिता एक पंथनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मो के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यूनिफार्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। जिससे तीन तलाक एवं तीन बार विवाह करने वाली परम्परा स्वतः खत्म हो जायेगी। वर्तमान में देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। फिलहाल में मुस्लिम, ईसाई और फारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिन्दु सिविल लॉ के तहत हिन्दु, सिक्ख, जैन व बौद्ध धर्म आते है।

भारतीय संविधान में समान नागरिकता संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, जबकि ये आज तक देश में लागू नहीं हो पाया। इसे लेकर एक बडी बहस चलती रही है।

क्या है हिन्दु पर्सनल लॉ

भारत मे हिन्दुओं के लिए हिन्दु कोड बिल लाया गया। किन्तु देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को चार हिस्सों में बाट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नहेरू ने इसे हिन्दु मैरिज एक्ट, हिन्दु सक्सेशन एक्ट, हिन्दु एडॉप्सन एंड मैंटेनस एक्ट और हिन्दु माइनोरिटी एंड गार्जियन शिप एक्ट में बाट दिया था। इस कानून ने महिलाओं का सीधे तौर पर सशक्त बनाया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की सम्पत्ति में अधिकार मिलता है। इसके बावजूद अलग–अलग जातियों के लोगों को एक दुसरे से शादी करने का अधिकार है लेकिन कोई व्यक्ति एक विवाह के रहते दुसरा विवाह नहीं कर सकता है।

क्यो है इस देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता

अलग–अलग धर्मो के लोग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षो से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। विवाह, तलाक, गोद लेना और जमीन जायदाद के बटवारें में सबके लिए एक जैसा कानून होगा फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलो का निपटारा अपने पर्सनल लॉ मानी निजी कानूनों के तहत करते है। सभी के लिए कानून में समानता से देश में एकता बढ़ेगी और जिस देश में नागरिकों में एकता होती हैं, किसी प्रकार वैमनस्य नहीं होता है वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढेगा। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा ओर राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगें और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा।

महिलाओं की स्थिति में होगा सुधार

समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। कुछ धर्मो के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है। इतना ही नहीं महिलाओ का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे।

इन देशों में लागू है यूनिफार्म सिविल कोड

एक तरफ भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बहस चल रही है वही दुसरी ओर पाकिस्तान, बाग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान जैसे कई देश इस कानून को अपने यहां लागू कर चुके हैं।

भारत मे मुसलमानों का चार विवाह करने की छूट है जबकि मुसलिम महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं। इससे स्पष्ट है कि मुसलमानों में स्त्रियों के साथ समानता का अधिकार नही किया जाता। जबकि विश्व के कई देश के कई मुस्लिम देशों मे चार विवाह करने के नियम को बदलकर केवल एक विवाह करने को कानूनी मान्यता दी है। इन देशों में ईरान, मिस्त्र, मोरक्कों, सीरिया, तुर्की टयूनीशिया तथा पाकिस्तान सम्मिलित हैं।

फ्रांस में कॉमन सिविल कोड लागू है जो वहां के हर नागरिक पर लागू होता है। यूनाइटेड किंगडम के इंग्लिश कॉमन की तर्ज पर अमेरिका में फेडरल लेवल पर कॉमन ला सिस्टम लागू है। आस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश कॉमन लॉ की तर्ज पर कॉमन लॉ सिस्टम लागू है। जर्मनी और उजबेकिस्तान जैसे देशों में भी सिविल लॉ सिस्टम लागू है।

समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निदेश दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केन्द्र सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है।

समान नागरिक संहिता लागू करने में कोई तकनीकी मुश्किल नही है, बल्कि राजनीतिक मुश्किल है. इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है। संविधान राज्य का निदेश देता है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। समान नागरिक संहिता कानून क्यों नही लाया जा सका है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल किया है। यह नही लाया गया इसका कारण वोटबैंक की राजीनीति है कि जिन समुदायों के पर्सनल कानून है वे कहीं नाराज न हो जाए।

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उस राष्ट्र की धर्म निरपेक्षता होती है। धर्म निरपेक्षता राज्य की ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें राज्य किसी धर्म विशेष का अनुयायी नही होता अपितु सभी धर्मो का संरक्षक होता है । धर्म निरपेक्षता सभी धर्मो को एकता के सूत्र में पिरोती है। धर्मनिरपेक्ष संविधान की यही विशेषता होती है कि राज्य किसी भी धर्म का प्रवर्तक नहीं होता तथा राज्य किसी भी तरह का धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय पक्षपात नही करता।

संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र की धार्मिक विविधता देखते हुए ही संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में एक अनिवार्य तत्व समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 मे प्रावधान रखा। इस अनुच्छेद के अनुसार ''राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को निदेश दिया गया है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करें। इस निदेश को लेकर वाद–विवाद चलता रहा है। संविधान सभा में डॉ. भीमराव अम्बेडकर इसके भारी पक्षधर थे। एस. आर. बोमई बनाम भारत संघ ए. आई.आर. 1994 एस. सी. 1918 में उच्चतम न्यायालय ने संसद के समान सिविल संहिता बनाने और लागू करने के अधिकार को मानते हुए सरकार से अपेक्षा की थी कि वह राष्ट्रीय एकता के हित में ऐसा कानून बनाए।

न्यायालय ने खेद प्रकट किया था कि अनुच्छेद 44 पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1531) में एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने समान सिविल संहिता की सिफारिश की ।

पन्नालाल बंशीलाल पिट्री बनाम आंध्रप्रदेश राज्य 1996(2) एस. सी. सी. 498 में न्यायालय ने धीरे–धीरे सुधार करते हुए समान सिविल संहिता की ओर बढ़ने की बात कही और सुझाव दिया कि अच्छा होगा यदि सुधार संबंधित समाज अथवा संप्रदाय की भीतर से ही आए।

भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है लेकिन उत्तराधिकार विवाह, तलाक और बच्चों के संरक्षण के मामलें में, विभिन्न धर्मों पर आधारित उनके अलग–अलग कानून है।

हिन्दु मैरिज एक्ट सिर्फ पैतृक अधिकार पर उत्तराधिकार वैद्य मानता है। इसलिए केरल और कर्नाटक के मातृवंशात्मक समुदायों की महिलाएं हर तरह के पैतृक और खानदानी सम्पत्ति में अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित रह जाती है।

1955 में 'हिन्दु कोड ने हिन्दु' अस्मिता को जगाने की प्रक्रिया को पूरा किया। जिसकी शुरूआत उन्नीसवीं शताब्दी में हुई थी। इसके तहत उन सभी को जो मुस्लिम, ईसाई या फारसी नही थे उन्हें बत्तौर हिन्दु करार दे दिया गया।

1937के शरीयत कानून ने मुस्लिम समुदाय की सीमाएं निर्धारित की जबकि पहले प्रचलित रिवाजों का ही अधिकार अनुसरण किया जाता था।समान अधिकार समान नियम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अंड़िग रहते हुए, अपने 1995 के कन्वेन्शन में जनवादी महिला समिति ने कदम–दर–कदम बदलाव की वकालत की हैं जो मजलिस द्वारा सुझाई गई राजनीतियों से मेल खाता है। अर्थात् आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी सभी क्षेत्रों में सभी महिलाओं के लिए बराबरी पर आधारित समान नियमों की जरूरत को जनवादी महिला समिति पुनः दुहराती है हालांकि 'मजलिस' और 'निकाहनामा' समूह की तरह कोड़ की आलोचना जनवादी महिला समिति नहीं करती परन्तु प्रत्यक्ष रूप से ऐसा भी नही मानती है कि वैसे किसी कोड़ के लायक समय आ गया है।

उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात पर जोर दिया है कि एक समान सिविल संहिता अधिनियमित करने के लिए कदम उठाए जाए जैसा कि अनुच्छेद 44 में परिकल्पित है। मैसर्स जार्डन डींगडेह बनाम एस. एस. चोपरा– के मामले मे न्यायालय ने कहा है कि ''न्यायिक पृथक्करण विवाह विच्छेद और विवाह की अकृतता से संबंधित विधि एक समान होने से बहुत दुर है। निश्चित ही विवाह विधि के पूर्ण सुधार का समय आ गया है और एक समान विधि धर्म या जाति के

विचार के बिना बनाई जाए। हमारा सुझाव है कि विधान मण्डल के लिए इन विषयों में हस्तक्षेप करने का समय आ गया है कि विवाह और विवाह–विच्छेद की समान सिविल संहिता उपबंधित की जाए।

मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम – के मामले मे उच्चतम न्यायालय ने अधिकथित किया गया है कि एक मुसलमान पति इद्दत अवधि से परे विच्छिन्न विवाह पत्नी को भरण–पोषण देने के लिए उत्तरदायी है । इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 44 के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन निर्णय दिया था। परन्तु दुर्भाग्यवश इस निर्णय के परिणाम स्वरूप मुस्लिम विच्छिन्न विवाह स्त्री के विषय में भरण–पोषण के सम्बन्ध में एक पृथक विधि बनाई गई क्योंकि संसद ने इस संबंध में मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 पारित किया जो कि एक समान सिविल संहिता की भावना के विरूद्ध है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने एक एतेहासिक महत्व के निर्णय सरला मुद्गल बनाम भारत संघ – में प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया कि वे संविधान के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक 'समान सिविल संहिता' के बनाने का निदेश दिया गया है कि और कहा कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की अभिवृद्धि दोनों दृष्टि से आवश्यक है।

न्यायालय ने खेद प्रकट किया था कि अनुच्छेद 44 पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1531) में एक बार फिर उच्चतम न्यायालय ने समान सिविल संहिता की सिफारिश की ।

पन्नालाल बंशीलाल पिट्री बनाम आंध्रप्रदेश राज्य 1996(2) एस. सी. सी. 498 में न्यायालय ने धीरे–धीरे सुधार करते हुए समान सिविल संहिता की ओर बढ़ने की बात कही और सुझाव दिया की अच्छा होगा यदि सुधार संबंधित समाज अथवा संप्रदाय के भीतर से ही आए।

अनुच्छेद 44 नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समाज सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

''तीन तलाक, हलाला और बहुविवाह ऐसी प्रथाएं है,, जिसमें मुस्लिम समाज की महिलाएं लम्बे समय से पीड़ित हैं। उत्तराखण्ड की सायरा बानो के प्रकरण और विधि आयोग के समान नागरिक संहिता के लिए लोगों से राय मांगने पर मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें इसे शरीयत मे दखल बता रही है, तो प्रगतिशील तबका समय की मांग। राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तीन तलाक , बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं को पूरी तरह समाप्त किये जाने का दलील दे रही हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दल इन मामलों पर कुछ भी साफ साफ कहने से कतराते नजर आ रहे है।''

निष्कर्ष – माना जाता है कि समान नागरिक संहिता से लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसे लागू करने का एकमात्र यही लक्ष्य हरगिज नहीं होना चाहिये। समय के साथ हर चीज में परिवर्तन हो रहा है तो नियम और कानूनों में भी बदलाव होना चाहिए। देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है, लेकिन किसी पर जोर जबरन कानून एवं नियमों थोपा न जाए बल्कि सबकी सर्वसहमति के आधार पर ही समान नागरिक संहिता पर विचार मंथन कर लागू किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया गया है और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी सुविधानुसार चुनावों के समय इसे सतह पर ले आते है। जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा तो देश की राजनीति भी प्रभावित होगी और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटो का ध्रुवीकरण भी नहीं होगा। हमारे देश में समान नागरिक संहिता को एक जटिल तथा विवादास्पद मुद्दा बना दिया गया है। इस मुद्दे का स्वरूप क्या हो यह भी अभी तक परिभाषित नही किया जा सका। इस मुद्दें ने पहले ही खत्म हो जाना चाहिये था लेकिन आज तक हल नही हो पाया जबकि अभी तक शुरूवात भी नही हुई फिर भी सभी भारतीयों की सहमति से इस मुद्दे को पारित किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1 http: hindi.mapsofindia.com
2 Web duniyq webside
3 Inbookin. Realindian social network.
4 प्रज्ञा शर्मा–महिलाएं लैंगिक असमानता एवं अपराध संस्करण 2004 पृ सं 79– 81।
5 व प्रज्ञा शर्मा–महिलाएं लैंगिक असमानता एवं अपराध ISBN 81.7910.065.0 प्रथम संस्करण 2004 पृ. सं. 78–88
6 व डॉ. जय नारायण पाण्डेय – भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ ऐजंसी 35वॉ संस्करण 15 अगस्त 2002 का पृ. सं. 339।
7 सुभाष कश्यप – हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि पृ.सं. 128।
8 बी.के मनीष – संविधान सबके के लिए पृ.स. 204 ।
9 लोकस्वामी लिखित और सच्चा दस्तावेज पाक्षिक के पृ.सं. 30 ।
10 वन्दे मातरम जागरण जक्शन।
11 सुभाष कश्यप हमारा संविधान पृ.स. 128।